भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

नामांकन रद्द करने की सूचना हेतु प्रपत्र (प्रपत्र संख्या 3751)

पत्ता :______________________________

____

____

दिनांक :-______________________________

प्रिय महोदय,

विषय : पॉलिसी नंबर . ________________

मैं एतद द्वारा यह सूचित करता हूँ की मेरे द्वारा उपरोक्त पॉलिसी के पाठ में / संलग्न पॉलिसी / *संलग्न वसीयत द्वारा दिनांकित ____________ पृष्ठांकन द्वारा किया गया नामांकन निरस्त करता हूँ |

आपका विश्वसनीय ,

संलग्न :उपरोक्तानुसार

____
(बीमा धारक के हस्ताक्षर)

* शब्दों को काटना मिटाना वर्जित है

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

नामांकित व्यक्ति रद्द करने का प्रपत्र (प्रपत्र 3750)

(नामांकन रद्द करने के कार्यान्वयन हेतु निर्देश देखे) .

मैं, ______________________________ इसके द्वारा______________________ पॉलिसी के पाठ मे / * पॉलिसी के पृष्ठांकन द्वारा _______________ में दिनांकित _______________, दिन ______ 20 ___________________वो व्यक्ति जिसे मेरी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा सुरक्षित किए गए पैसे का भुगतान किया जाना था , वह नामांकन रद्द और शून्य अमान्य किया जाता है |

_________में दिनांकित __________________ दिन______________ 20 ______________

साक्ष्य :

________________________________ ________________________________

(साक्ष्य के हस्ताक्षर हिन्दी में) (बीमा धारक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम :
पदनाम :
पत्ता :

प्रमाणित किया जाता है की नामांकन रद्द करने की जानकारी के बारे में बीमा धारक __________________ को मातृभाषा में बतायी और उपरोक्त को अच्छी तरह से समझ कर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाया "।

____
(साक्ष्य के हस्ताक्षर)

(सील)

| शब्दों को काटना मिटाना वर्जित है

(निर्देश देखे)

निर्देश

(1) एक बीमित व्यक्ति, अपनी पॉलिसी का भुगतान के लिए परीपक्व होने से पहले किसी भी समय,पॉलिसी के पीछे पृष्ठांकन करके या वसीयत के ज़रिए पिछले नामांकन को रद्द कर सकता है।

(2) अगर पॉलिसी पर पृष्ठांकन करके नामांकन रद्द करना है, तो बीमित व्यक्ति को पॉलिसी के पीछे नामांकन रद्द फॉर्म में ज़रूरी बदलाव करने के बाद और ज़रूरी विवरण भर कर फॉर्म की कॉपी बनानी चाहिए। अगर बीमित व्यक्ति के हस्ताक्षर हिन्दी में नहीं हैं, तो साक्ष्य का प्रमाणपत्र भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर बीमित व्यक्ति हिन्दी नहीं जानता है, तो उसे हिन्दी जानने वाले साक्ष्य के सामने पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करना चाहिए और अगर वह अनपढ़ है तो उसे मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी, कम से कम 3 साल के अनुभव वाले विकास अधिकारी या ऐसे स्थायी विकास अधिकारी , जो ऐसे अभिकर्ता में से भर्ती हुए हों, जो शामिल होने से पहले मंडल प्रबंधक या शाखा प्रबंधक क्लब के सदस्य थे या ऐसे विकास अधिकारी जो ऐसे अभिकर्ता में से भर्ती हुए हों, जो शामिल होने से पहले क्षेत्रीय या अध्यक्ष क्लब के सदस्य थे, के सामने पृष्ठांकन पर अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा बशर्ते वह पृष्ठांकन करने वाले व्यक्ति की पहचान से पूरी तरह संतुष्ट हो। ऐसे मामलों में साक्ष्य को पृष्ठांकन में प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करना होगा |

(3) पॉलिसी पर पृष्ठांकन या वसीयत द्वारा नामांकन रद्द होने के तुरंत बाद, नामांकन रद्द की सूचना लिखित रुप में, अधिमानतः दिए गए फॉर्म में से उस शाखा कार्यालय को भेजा जाना चाहिए, जहा पर पंजीकरण कर पॉलिसी जारी की थी । पॉलिसी या वसीयत के साथ अगर ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, तो निगम पॉलिसी के तहत नामांकित व्यक्ति, जो की पॉलिसी के पाठ में बताया गया है या उसके अभिलेख में पंजीकृत है,को किए गए किसी भी प्रमाणिकता से किए गए भुगतान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

(टिप्पणी : यदि इस शर्तो और निबंधनों और विशेष प्रवधानो / शर्तो के संबंध मे कोई विवाद पैदा होता है तो अंग्रेजी पाठ विधिमान्य होगा)